संख्या–361पीआरसी/चौ0-1-96

प्रेषक,

श्री ओ0पी0आर्या,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1   लखनऊ दिनांक 31मई,1996

विषय :–राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को गम्भीर बीमारी की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–187/चौवालिस-1/1992-13एवंरि/88, दिनांक 11मार्च 1992 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों द्वारा अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की बीमारियों में अस्पताल से बाहर रहकर कराये गये इलाज पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये उपरोक्त शासनादेश मे व्यवस्था की गई है। व्यवस्थानुसार इस प्रकार के मामले में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति एवं इस हेतु अग्रिम की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव संचालक मण्डल में पारित होने के बाद शासन के विचारार्थ भेजे जाते है।

2. इस क्रम में निगमों/उपक्रमों के निदेशक मण्डल के स्तर पर ही चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के प्रश्न पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त संदर्भित शासनादेश का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण रू0 50,00,0/-(रूपया पचास हजार) धनराशि की सीमा तक निदेशक मण्डल द्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

(1) अस्पताल से बाहर रहकर कराये गये इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति केवल अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की बीमारियों में उस क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में लागू दर पर की जायेगी।

(2) बाहरी चिकित्सालय में उपचार की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके समकक्ष सरकारी अस्पताल/मेडिकल कालेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की संस्तुति प्राप्त की जायेगी।

(3) जिन बीमारियों का इलाज सम्बन्धित निगम सेवक की तैनाती के जिले के किसी अस्पताल में सम्भव न हो ऐसे मामलों में प्रदेश के अन्दर किसी अन्य अस्पताल/मेडिकल कालेज को संदर्भ किया जायेगा परन्तु यदि मेडिकल

Downloaded From www.uprtc.com

कालेज अथवा किसी सरकारी अस्पताल में भी इलाज सम्भव न हो तो संजय गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ अथवा प्रदेश के अन्दर स्थित सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी विशिष्ट चिकित्सालय को संदर्भित किया जायेगा। प्रदेश के बाहर इलाज कराये जाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब कि प्रदेश के अन्दर किसी अस्पताल में उस रोग के इलाज की सुविधा उपलब्ध न हो।

(4) यदि किसी निगम के सेवक की तैनाती प्रदेश के बाहर है तो उस दशा में सम्बन्धित क्षेत्र की राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में लागू दरों पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी परन्तु अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान अथवा इस प्रकार के उच्च स्तर के विशिष्ट अस्पताल जहाँ इलाज अधिक खर्चीला है, में इलाज की अनुमति तभी दी जायेगी जब कि यह प्रमाणित हो जाय कि सम्बन्धित रोग का इलाज साधारण अस्पताल/मेडिकल कालेज में सम्भव नही था।

3. रु0 50,000/-- (रु0 पचास हजार) से अधिक के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये प्रस्ताव सदैव शासन को भेजे जायेगें।

भवदीय,
ह0/--
(ओ0पी0आर्या)
सचिव

संख्या-361(1)/पीआरसी/ची0-1-96समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन के सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2. सचिवालय के सम्बन्धित अनुभाग।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2।
4. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2,10 प्रतियाँ।
5. महानिदेशक,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/--
(के0पी0सिंह)
विशेष सचिव

नोट:-
पत्र सं0:पी-37एफए/98-349एफए/88, दि0 18-7-98 द्वारा समस्त क्षेत्रों को शासनादेश भेजा जा चुका है।

Downloaded From www.upsrtc.com

संलग्नक–1

1- विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक,लखनऊ।
2- फातिमा अस्पताल, लखनऊ।
3- नूरमंजिल सायेटिक सेण्टर,लखनऊ।
4- ऑख अस्पताल,सीतापुर।
5- किश्चियन अस्पताल जोठनबाग,झॉसी।
6- कालरा स्वेग,अस्पताल,बरेली।
7- मोहनलाल ऑख अस्पतालअलीगढ़।
8- नरेन्द्र मोहन अस्पताल,मोहननगर,गाजियाबाद।
9- सरसुन्दरलाल अस्पताल,बी0एच0यू0,वाराणसी।
10- ऑख अस्पताल,सीतापुर ब्रॉच,गोण्डा।
11- मिशन अस्पताल,कटरा जिला गोण्डा।
12- ऑख का अस्पताल(सीतापुर ब्रान्च) बस्ती।
13- किश्चियन अस्पतालहरबलपुर(नियर लवपतपुर),देहरादून।
14- रामकृष्ण मिशन अस्पताल कनखल,हरिद्वार।
15- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सेण्ट्रल अस्पताल रानीपुर,हरिद्वार।
16- मरियमपुर अस्पताल,कानपुर।
17- डा0 जवाहन लाल रस्तोगी मेमोरियल ऑख अस्पताल,कानपुर।
18- उत्तर प्रदेश मेडिकल सेण्टर,लखनऊ(कैट स्कैन टेस्ट हेतु)।
19- जे0के0कैंसर इन्स्टीट्यूट,कानपुर।
20- जी0बी0पन्त चिकित्सालय,नैनीताल।
21- क्षयरोग आश्रम,भवाली नैनीताल।
22- सिंघानिया इन्स्टीट्यूट आफ कार्डियालॉजी।
23- स्नाकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान,लखनऊ।

****

Downloaded From www.upsrtc.com